



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-09012025-260081
CG-TL-E-09012025-260081

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 3, 2025/पौष 13, 1946

No. 22]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 3, 2025/PAUSHA 13, 1946

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 1 जनवरी, 2025

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (विनियामक सैंडबाक्स) विनियम, 2025

फा.सं.भा.बी.वि.वि.प्रा./विनियम/5/212/2025— बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 14 की उप-धारा (2) के खंड (ड) और धारा 26 के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 114ए की उप-धारा 2 के खंड (जेडडी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद, इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

अध्याय I

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:

- (1) ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (विनियामक सैंडबाक्स) विनियम, 2025 कहलाएंगे।
- (2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- (3) इन विनियमों की समीक्षा आईआरडीएआई (विनियामक सैंडबाक्स) विनियम, 2025 के प्रकाशन की तारीख से प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार की जाएगी, जब तक कि इसके पहले किसी समीक्षा, निरसन अथवा संशोधन की आवश्यकता उत्पन्न न हो।

2. उद्देश्य: इन विनियमों के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

- (1) बीमा क्षेत्र के सुव्यवस्थित विकास और पालिसीधारकों के हितों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के साथ ही, बीमा क्षेत्र में नवोन्मेषण को सुसाध्य बनाना।
- (2) विनियामक सैंडबाक्स परिवेश के निर्माण को सुसाध्य बनाना तथा प्राधिकरण द्वारा बनाये गये किन्हीं वर्तमान विनियमों के ऐसे उपबंधों को एक सीमित विस्तार और सीमित अवधि के लिए शिथिल करना/ऐसे उपबंधों से छूट देना, यदि ऐसा शिथिलन/ऐसी छूट प्रयोग की अवधि के दौरान आवश्यक हो।

3. परिभाषाएँ :

- (1) इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

- क) “अधिनियम” से बीमा अधिनियम, 1938 अभिप्रेत है;
- ख) “आवेदक” में निम्नलिखित शामिल हैं-
- बीमाकर्ता या
 - मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती या
 - सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में न्यूनतम निवल मालियत (नेट वर्थ) से युक्त व्यक्ति को छोड़कर कोई अन्य व्यक्ति या
 - भारत में बीमा में नवोन्मेषण को बढ़ावा देने के लिए एकल तौर पर अथवा संयुक्त रूप से अनुमति की अपेक्षा करनेवाला सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य व्यक्ति;
- ग) “प्राधिकरण” से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- घ) “सक्षम प्राधिकारी” से निम्नलिखित अभिप्रेत है:
- अध्यक्ष, अथवा
 - ऐसा पूर्णकालिक सदस्य या पूर्णकालिक सदस्यों की ऐसी समिति या प्राधिकरण का ऐसा अधिकारी (ऐसे अधिकारी), जैसा कि अध्यक्ष के द्वारा निर्धारित किया जाएगा;
- ङ) “विनियम” से अधिनियम की धारा 2(16ए) के अंतर्गत यथापरिभाषित प्राधिकरण के द्वारा बनाये गये विनियम अभिप्रेत हैं;
- च) “विनियामक सैंडबाक्स” से वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में प्रयुक्त परिवेश अभिप्रेत है, जो नये व्यवसाय के माडलों, प्रक्रियाओं और अनुप्रयोगों के लिए परीक्षण आधार उपलब्ध कराता है जो वर्तमान विनियमों के द्वारा आवश्यक रूप से पूर्णतः सम्मिलित नहीं है अथवा वर्तमान विनियमों का अनुपालनकर्ता नहीं है।
- छ) “सैंडबाक्स परिवेश” से एक विशिष्ट समयावधि के लिए प्रयोग हेतु अभिकल्पित परीक्षण परिवेश अभिप्रेत है।
- (2) इन विनियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित, परंतु बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अथवा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) अथवा उनके अधीन अधिसूचित नियमों या विनियमों में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे जो क्रमशः उन अधिनियमों अथवा नियमों अथवा विनियमों, जैसी स्थिति हो, में उनके लिए निर्धारित किये गये हैं।

अध्याय II

भारत में बीमा में नवोन्मेषण को बढ़ावा देने के लिए अनुमति माँगने के लिए प्रक्रिया

4. आवेदन की श्रेणियाँ

आवेदक समूचे बीमा मूल्य चक्र के अंतर्गत भारत में बीमा में तथा उन क्षेत्रों को छोड़कर जो पूँजी, चलनिधि, निवेश, शोधन-क्षमता, आरक्षण निधीयन (रिज़र्विंग) जैसे विवेकपूर्ण और वित्तीय स्थिति/स्थिरता संबंधी विषयों से संबद्ध हैं, ऐसे किसी भी क्षेत्र में जिसके लिए विनियमों, अधिसूचना, मास्टर परिपत्र, दिशानिर्देशों, परिपत्र या प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये किसी अन्य सूचना-पत्र में किसी भी उपबंध से छूट की आवश्यकता है, तथा समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किये जानेवाले ऐसे अन्य क्षेत्रों में नवोन्मेषण को बढ़ावा देने या कार्यान्वित करने के लिए अनुमति माँगते हुए प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

5. भारत में बीमा में नवोन्मेषण को बढ़ावा देने हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए आवेदन

- (1) भारत में बीमा में नवोन्मेषण को बढ़ावा देने अथवा उसे कार्यान्वित करने का इच्छुक आवेदक सक्षम प्राधिकारी को विनिर्दिष्ट फार्म में इलेक्ट्रानिक तौर पर आवेदन प्रस्तुत करेगा।
- (2) आवेदन के साथ विनिर्दिष्ट रूप में वापस न करने योग्य शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

- (3) सक्षम प्राधिकारी आवेदकों के लिए अपने द्वारा योग्य समझे गये रूप में पात्रता के मानदंड निर्धारित कर सकता है।
- (4) सक्षम प्राधिकारी आवेदक, जिसे अनुमति प्रदान की गई हो, के विनियामक सैंडबाक्स के प्रयोग के स्तर, देयताओं और दायित्वों के लिए पैरामीटर निर्धारित कर सकता है, जैसा कि वह उपयुक्त समझता है।
- 6. अनुमति प्रदान करने के लिए शर्तें**
- (1) सक्षम प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट होने पर कि आवेदक पात्रता के मानदंडों और अन्य विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करता है, तथा यह कि आवेदनः
- क) भारत में बीमा क्षेत्र के लिए लाभदायक नवोन्मेषण को बढ़ावा देता है, और
 - ख) पालिसीधारकों के हित में है; अथवा
 - ग) उद्योग की सुव्यवस्थित वृद्धि के लिए सहायक है; अथवा
 - घ) देश में बीमा व्यापन में वृद्धि को बढ़ावा देगा; अथवा
 - ङ) बीमा व्यवसाय में कार्यकुशलता लाएगा; अथवा
 - च) बीमा व्यवसाय करने की सुगमता में वृद्धि करता है;
- इस शर्त के अधीन कि आवेदक बीमा अधिनियम, 1938 तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999, डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 और सभी अन्य संगत संविधियों/विनियम के संबंधित उपबंधों का अनुपालन करता है, अनुमति प्रदान कर सकता है।
- (2) प्रदान की गई अनुमति विनिर्दिष्ट प्रयोग अवधि के लिए विधिमान्य होगी।
- (3) अनुमति प्रदान करने से संबंधित विषयों पर सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

7. अनुमति का प्रतिसंहरण

सक्षम प्राधिकारी इस प्रकार प्रदान की गई अनुमति का प्रतिसंहरण कर सकता है (वापस ले सकता है), यदि उसकी राय में किये गये कार्यकलापः

- (क) उपर्युक्त विनियम 6 में दी गई शर्तों को पूरा नहीं करते अथवा
- (ख) बीमा अधिनियम, 1938, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 अथवा अन्य प्रयोज्य विधियों के उपबंधों का उल्लंघन करते हैं।

बशर्ते कि उक्त अनुमति का प्रतिसंहरण करने से पहले आवेदक को अपनी बात कहने के लिए सुनवाई का एक अवसर दिया जाएगा।

8. पहली अनुमति का समय-विस्तार

- (1) यदि प्रयोग की अवधि के अंत में आवेदक समय के विस्तार की अपेक्षा करता है, तो अब तक प्रस्ताव के कार्यनिष्पादन के विक्षेपण के साथ समय बढ़ाने की अपेक्षा करने के लिए कारण बताते हुए सक्षम प्राधिकारी को अनुरोध प्रस्तुत किया जा सकता है।
- (2) सक्षम प्राधिकारी आवेदक के अनुरोध पर गुण-दोष के आधार पर विचार कर सकता है।
- (3) किसी भी परिस्थिति में आवेदक को विनिर्दिष्ट समय का कोई विस्तार प्रदान नहीं किया जाएगा।
- (4) विनियम 7 में उल्लिखित रूप में अनुमति के प्रतिसंहरण से संबंधित खंड आवश्यक परिवर्तनों के साथ उक्त विस्तार-अवधि के लिए लागू होगा।

9. प्रणालियों और नियंत्रणों की आंतरिक निगरानी, समीक्षा और मूल्यांकन

- (1) अनुमोदन प्रदान करने के बाद, आवेदक निम्नलिखित को सुनिश्चित करेगाः
 - क) कि प्रणालियों की समग्रता का अनुरक्षण हर समय किया जाता है।
 - ख) पालिसीधारक संबंधी डेटा की गोपनीयता का अनुरक्षण किया जाता है।
 - ग) उसके नियंत्रणों, प्रणालियों, प्रक्रियाओं और रक्षोपायों की समीक्षा, निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए पर्याप्त आंतरिक व्यवस्थाएँ लागू की गई हैं।
- (2) जहाँ प्रस्ताव का निष्पादन करने में कोई विचलन पाया जाता है, वहाँ आवेदक इसकी सूचना प्राधिकरण को तत्काल देगा।
- (3) प्रयोग / परीक्षण के चरण के दौरान ग्राहक या व्यवसाय जोखिमों के लिए उत्पन्न होनेवाली किसी भी देयता के लिए विनियामक सैंडबाक्स में प्रवेश करने के बाद आवेदक जिम्मेदार होगा तथा प्राधिकरण ऐसी किसी देयता के लिए जिम्मेदार या भागी नहीं होगा।

10. प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव की समीक्षा

- (1) सक्षम प्राधिकारी संपर्क के एकल स्थान (एसपीओसी) के माध्यम से नियमित अंतरालों पर प्रस्ताव की प्रगति की समीक्षा करेगा।
- (2) सक्षम प्राधिकारी आवेदक का मार्गदर्शन भी सुझावों के रूप में और उपयुक्त समझे जानेवाले किसी अन्य प्रकार से कर सकता है। तथापि, आवेदक प्रस्ताव के संबंध में की गई प्रत्येक कार्रवाई के लिए एकमात्र तौर पर उत्तरदायी होगा तथा किन्हीं कानूनी दायित्वों सहित उसके अंतर्गत सभी दायित्वों का निर्वहण करने के लिए जिम्मेदार होगा।

11. प्रस्ताव का निष्कर्ष

- (1) विनिर्दिष्ट रूप में आवंटित समयावधि के समाप्त होने पर, आवेदक 30 दिन के अंदर सक्षम प्राधिकारी को पालिसीधारकों से प्राप्त प्रतिसूचना (फीडबैक) के साथ एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा कि प्रस्ताव ने उद्देश्यों को कैसे प्राप्त किया है तथा विनिर्दिष्ट रूप में अन्य सूचना अथवा विवरण भी प्रस्तुत किया जाएगा। आवेदक एक कार्य-योजना भी प्रस्तुत करेगा कि प्रस्ताव को कैसे वर्तमान विनियामक ढाँचे के अंतर्गत लाया जाएगा।
- (2) आवेदक की रिपोर्ट की जाँच करने के उपरांत, यदि सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट है कि प्रस्ताव के उद्देश्य पूरे किये गये हैं, तो वह आवेदक को वर्तमान विनियामक ढाँचे के अंतर्गत उक्त प्रस्ताव को अपनाने के लिए अनुमति प्रदान कर सकता है जिसमें बीमा अधिनियम, 1938 के उपबंधों के अतिरिक्त, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999, सभी विनियम, दिशानिर्देश, परिपत्र आदि वर्तमान विनियामक ढाँचे में अंतर्गत होने की तारीख से लागू होंगे।
- (3) आवेदक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की जाँच करने के बाद, यदि सक्षम प्राधिकारी की राय है कि प्रस्ताव के उद्देश्य पूरे नहीं किये गये हैं, तो आवेदक को निदेश दिया जा सकता है कि वह प्रस्ताव को बंद करे।
- (4) आवेदक प्रस्ताव के समय-पूर्व समापन के लिए भी अनुरोध कर सकता है, यदि वह महसूस करता है कि प्रस्ताव अपेक्षित उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सकेगा। समय-पूर्व समापन के लिए ऐसा अनुरोध कम से कम एक महीना पहले अग्रिम रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सक्षम प्राधिकारी ऐसे अनुरोध पर गुण-दोष के आधार पर विचार करेगा तथा अपने द्वारा योग्य समझी जानेवाली शर्तों के अधीन तदनुसार आवेदक को सूचित करेगा।
- (5) प्रस्ताव के अंतर्गत प्रक्रियाओं का समापन होने पर, आवेदक का यह कर्तव्य होगा कि वह सहभागियों के समस्त व्यक्तिगत डेटा को मिटा दे और सक्षम प्राधिकारी को इस आशय का पुष्टीकरण दे।
- (6) प्रस्ताव को आगे जारी रखने की अनुमति दी जाए या नहीं, इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

12. अंतर-विनियामक सैंडबाक्स प्रस्ताव

ऐसे विनियामक सैंडबाक्स आवेदनों, जो एक से अधिक वित्तीय क्षेत्रों से संबंध रखते हैं, पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया और क्रियाविधियाँ प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में होंगी।

13. निरीक्षण, जाँच आदि करने की शक्ति

सक्षम प्राधिकारी के पास आवेदक से किसी भी दस्तावेज, अभिलेख या सूचना-पत्र की माँग करने, उसका निरीक्षण करने या जाँच करने का अधिकार होगा।

अध्याय III**विविध****14. विनियामक सैंडबाक्स में किसी आवेदक को किसी भी विनियम के उपबंधों से छूट प्रदान करने के लिए प्राधिकरण के अध्यक्ष की शक्ति –**

- (1) प्राधिकरण का अध्यक्ष आवेदक के लिए प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किसी(किन्हीं) विनियम(मों) के एक या उससे अधिक उपबंधों अथवा प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये किन्हीं दिशानिर्देशों अथवा परिपत्रों की प्रयोज्यता से, विनियम 6 में उल्लिखित शर्तों और आवश्यक समझे गये रूप में किन्हीं अन्य शर्तों के अधीन छूट प्रदान कर सकता है। तथापि, बीमा अधिनियम, 1938 अथवा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 अथवा किन्हीं अन्य प्रयोज्य स्थिति रखनेवाली संविधियों के अनुपालन के संबंध में कोई छूट प्रदान नहीं की जाएगी।
- (2) उपर्युक्त के बावजूद, जहाँ सक्षम प्राधिकारी की राय में आवेदक के परिचालन भारतीय बीमा बाजार अथवा बीमा पालिसीधारकों के हित में नहीं हैं, वहाँ सक्षम प्राधिकारी के पास आवेदक को प्रदान की गई अनुमति के निलंबन सहित सभी उपयुक्त कार्रवाइयाँ करने का अधिकार सुरक्षित है।

15. समय-समय पर परिपत्र, दिशानिर्देश और निदेश जारी करने की शक्तियाँ

सक्षम प्राधिकारी इन विनियमों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया से संबंधित परिचालनगत विषयों सहित, इन विनियमों के संबंध में यदि आवश्यक हो तो समय-समय पर परिपत्र, दिशानिर्देश और निदेश जारी कर सकता है।

16. स्पष्टीकरण जारी करने तथा कठिनाइयाँ, यदि कोई हों, दूर करने की शक्ति

इन विनियमों के किसी भी उपबंध को लागू करने अथवा उसका अर्थनिर्णय करने में उत्पन्न होनेवाली किन्हीं भी शंकाओं या कठिनाइयों को दूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी जब भी आवश्यक हो तब उपयुक्त स्पष्टीकरण जारी कर सकता है।

17. निरसन और बचत

- (1) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (विनियामक सैंडबाक्स) विनियम, 2019 इन विनियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से निरस्त किये जाएँगे।
- (2) जब तक इन विनियमों के द्वारा अन्यथा व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक ऊपर उप-विनियम (1) में उल्लिखित विनियमों के संबंध में की गई अथवा किये गये रूप में समझी गई किसी भी बात अथवा किसी भी कार्रवाई के संबंध में समझा जाएगा कि वह इन विनियमों के तदनुरूपी उपबंधों के अंतर्गत की गई है।

देबाशीष पण्डा, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./878/2024-25]

**INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA
NOTIFICATION**

Hyderabad, 1st January 2025

Insurance Regulatory and Development Authority of India (Regulatory Sandbox) Regulations, 2025

F. No. IRDAI/Reg/5/212/2025.- In exercise of the powers conferred by clause (zd) of sub-section 2 of Section 114A of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) read with clause (e) of sub section (2) of Section 14 and section 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Authority, in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following regulations, namely: -

**CHAPTER I
PRELIMINARY**

1. Short title and commencement:

- (1) These Regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Regulatory Sandbox) Regulations, 2025.
- (2) These Regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- (3) These Regulations shall be reviewed once every three years from the date of publication of the IRDAI (Regulatory Sandbox) Regulations, 2025, unless a review, repeal or amendment is warranted earlier.

2. Objectives: The objectives of these Regulations are:

- (1) To facilitate innovation in the insurance sector while ensuring orderly development of the insurance sector and protection of interests of the policyholders
- (2) To facilitate creation of regulatory sandbox environment and to relax such provisions of any existing Regulations framed by the Authority for a limited scope and limited duration, if such a relaxation is necessary during the experiment period.

3. Definitions:

- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires: -
 - a) "Act" means the Insurance Act, 1938;
 - b) "Applicant" includes
 - (i) an insurer or
 - (ii) an intermediary or insurance intermediary or
 - (iii) any person other than an individual having a minimum net-worth as specified by the Competent Authority or
 - (iv) any other person specified by the Competent Authority seeking singly or jointly permission for promoting innovation in insurance in India;
 - c) "Authority" means the Insurance Regulatory and Development Authority of India established under subsection (1) of Section 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999);
 - d) "Competent Authority" means:
 - (i) Chairperson, or
 - (ii) such Whole-Time Member or such committee of the Whole-Time Members or such Officer(s) of the Authority, as may be determined by the Chairperson;
 - e) "Regulations" means the Regulations framed by the Authority as defined under Section 2 (16A) of the Act;
 - f) "Regulatory Sandbox" means an environment used in the financial services sector, which provides testing ground for new business models, processes and applications that may not necessarily be covered fully by or are not fully compliant with existing Regulations;
 - g) "Sandbox environment" means a testing environment designed for experimentation for a specific period of time.
- (2) Words and expressions used and not defined in these Regulations but defined in the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) or the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999) or the Rules or the Regulations notified there under, shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts or the Rules or the Regulations as the case may be.

CHAPTER II

PROCEDURE FOR SEEKING PERMISSION FOR PROMOTING INNOVATION IN INSURANCE IN INDIA

4. Categories of application

An applicant may apply to the Competent Authority seeking permission for promoting or implementing innovation in insurance in India across the insurance value chain and in any area that requires relaxation of any provision of the Regulations, Notification, Master Circular, Guidelines, Circular or any other communication issued by the Authority, except for areas involving prudential and financial condition/stability matters, such as capital, liquidity, investment, solvency, reserving and such other areas as decided by the Authority from time to time.

5. Application for grant of permission for promoting innovation in insurance in India

- (1) An applicant desiring to promote or implement innovation in insurance in India shall make an application to the Competent Authority electronically in the specified form.
- (2) The application shall be accompanied by a non-refundable fee as specified.
- (3) The Competent Authority may lay down such eligibility criteria, as it deems fit, for the applicants
- (4) The Competent Authority may lay down the parameter for the experimentation stage of regulatory sandbox, liabilities and responsibilities of the applicant who is granted permission, as it deems fit.

6. Conditions for grant of permission

- (1) The Competent Authority, on being satisfied that the applicant meets the eligibility criteria and other specified requirements, and that the application:
 - a) promotes innovation beneficial to insurance sector in India, and
 - b) is in the interest of the policyholders; or
 - c) is conducive for the orderly growth of the industry; or
 - d) would promote increase in insurance penetration in the country; or
 - e) bring in efficiency in insurance business; or
 - f) promotes ease of doing insurance business;

may grant permission subject to the applicant complying with the relevant provisions of the Insurance Act, 1938 and the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, Digital Personal Data Protection Act, 2023 and all other relevant statutes/regulation.

(2) The permission granted shall be valid for an experiment period as specified.

(3) The decision of the Competent Authority on matters relating to grant of permission shall be final.

7. Revocation of permission

The Competent Authority may revoke the permission so granted at any time, if it is of the view that the activities carried out are:

(a) not meeting the conditions given in Regulation 6 above or

(b) in violation of the provisions of the Insurance Act, 1938, the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 or other applicable laws.

Provided that before revoking the permission, the applicant shall be given an opportunity of being heard.

8. Extension of first permission

(1) If, at the end of experimental period, the applicant seeks extension of time, a request may be made to the Competent Authority citing the reasons for seeking the extension along with a performance analysis of the proposal so far.

(2) The Competent Authority may consider the request of the applicant on merits.

(3) Under no circumstances will the applicant be granted another extension of time beyond the time as specified.

(4) The clause relating to revocation of permission as mentioned in Regulation 7 shall apply mutatis mutandis for the extension period.

9. Internal monitoring, review and evaluation of systems and controls

(1) After grant of permission, the applicant shall ensure:

a) that the integrity of the systems is maintained at all times.

b) confidentiality of policyholder data is maintained.

c) adequate internal mechanisms are put in place for reviewing, monitoring and evaluating its controls, systems, procedures and safeguards.

(2) Where any deviation is noticed in executing the proposal, the applicant shall notify the same immediately to the Competent Authority.

(3) The applicant shall be liable for any liability for customer or business risks that may arise during the experimentation/test phase on entering the regulatory sandbox and the Authority shall not be responsible or liable for any such liability.

10. Review of proposal approved by the Competent Authority

(1) The Competent Authority, through the single point of contact (SPOC), shall review the progress of the proposal at regular intervals.

(2) The Competent Authority may also guide the applicant in the form of suggestions and in any other way as it may deem fit. However, the applicant shall be solely responsible for every action taken in respect of the proposal and shall be liable to discharge all the obligations thereunder including any legal obligations.

11. Conclusion of the proposal

(1) On completion of the allocated time period specified, the applicant shall submit a report to the Competent Authority within 30 days on how the proposal met the objectives along with feedback from the policyholders and such other information or details as specified. The applicant shall also submit a plan of action as to how the proposal be brought under the extant regulatory framework'.

(2) On examining the report of the applicant, if the Competent Authority is satisfied that the objectives of the proposal have been met, it may accord permission to the applicant to adopt the proposal under the extant regulatory framework wherein in addition to provisions of the Insurance Act, 1938, the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, all Regulations, guidelines, circulars, etc. will be applicable from the date of moving to the extant regulatory framework.

(3) On examining the report submitted by the applicant, if the Competent Authority is of the view that the objectives of the proposal are not met, the applicant may be directed to discontinue the proposal.

(4) An applicant may also request for early termination of the proposal in case it is felt by him that the proposal shall not be able to meet the desired objectives. Such request for early termination has to be submitted at least one month in advance. The Competent Authority shall consider the request on merits and advise the applicant accordingly subject to such conditions as it deems fit.

(5) On completion of the processes under the proposal, it shall be the duty of the applicant to erase all personal data of the participants and give a confirmation to that effect to the Competent Authority.

(6) The decision of the Competent Authority on whether or not to allow continuation of the proposal shall be final.

12. Inter-Regulatory Sandbox Proposals

The process and procedures in dealing with regulatory sandbox applications that cuts across more than one financial sector shall be as specified by the Competent Authority.

13. Power to Inspect, Investigate, etc.

The Competent Authority shall have the right to call for, inspect or investigate any document, record or communication from the applicant.

CHAPTER III MISCELLANEOUS

14. Power of the Competent Authority to grant relaxation from the provisions of any Regulations to an applicant in the Regulatory Sandbox –

(1) The Competent Authority may relax for the applicant the applicability of one or more provisions of any Regulation(s) notified by the Authority or any guidelines or circulars issued by the Authority, subject to the conditions mentioned in Regulation 6 and any other conditions as deemed necessary. However, no relaxation shall be granted in respect of compliance with the Insurance Act, 1938 or Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 or any other applicable statutes.

(2) Notwithstanding the above, where the Competent Authority is of the opinion that the operations of the applicant are not in the interest of the Indian insurance market or the insurance policyholders, the Competent Authority reserves the right to take all appropriate actions including suspension of the permission granted to the applicant.

15. Powers to issue Circular, Guidelines and directions from time to time

The Competent Authority may issue circulars, guidelines and directions, if necessary, from time to time, relating to these regulations, including operational issues pertaining to the implementation process of these regulations.

16. Power to issue clarifications and to remove difficulties, if any

In order to remove any doubts or the difficulties that may arise in the application or interpretation of any of the provisions of these regulations, the Competent Authority may issue appropriate clarifications as and when deemed necessary.

17. Repeal and Savings

(1) Insurance Regulatory and Development Authority of India (Regulatory Sandbox) Regulations, 2019 shall be repealed from the date these Regulations come into force.

(2) Unless otherwise provided by these regulations, anything done or any action taken or purported to have been done or taken in respect of the regulations mentioned in sub-regulation (1) above shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these regulations.

DEBASISH PANDA, Chairperson

[ADVT.-III/4/Extty./878/2024-25]